राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक :– एफ 07(148)/रालसा/जे.एस./संस्था–परिपत्र/2018/5738 दिनांकः– 4/5/18

संशोधित परिपत्र

विषय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.11.2015 को समाज के विभिन्न कमजोर वर्गो के कल्याण हेतु 07 योजनायें जारी की गयी थी जो कि निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाल्सा की 07 योजनाओं के नाम
1	नाल्सा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015
2	नाल्सा (असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Legal Servcices to the Workers in the Unorganized Sector) Scheme, 2015
3	नाल्सा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015
4	नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Legal Servcices to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015
5	नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 NALSA(Effective Implementation of Poverty Alleviation) Scheme, 2015
6	नाल्सा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015
7	नाल्सा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 NALSA(Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

उक्त योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु इस कार्यालय द्वारा परिपत्र कमांक 14 दिनांक 22.02.2016 जारी किया गया **है जो कि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।** उक्त परिपत्र के अनुसारजिला **स्तर** पर कियान्वयनहेतु तीन टीम का गठन कर 07 स्कीमों को निम्नानुसार आवंटित किया गया था।

टीम संख्या	परिपत्र संख्या 14 के अनुसार नाल्सा की 07 योजनाओं के नाम
प्रथम टीम	1. नाल्सा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 2. नाल्सा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 3. नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
द्वितीय टीम	1. नाल्सा (असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 2. नाल्सा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015
तृतीय टीम	1. नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 2. नाल्सा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

तथा तालुका स्तर पर परिपत्र संख्या 14 के अनुसार उपरोक्त 7 स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु एक टीम का गठन किया गया था।

उसके उपरान्त नाल्सा द्वारा 03 योजनायें और जारी की गयी है जो कि निम्नानुसार है:–

क. सं.	नाल्सा की 03 योजनाओं के नाम
1	नाल्सा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016
2	नाल्सा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016
3	नाल्सा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाऐं) योजना, 2010 NALSA(Legal Services to Disaster Victims Legal Services Authorities) Scheme, 2010

उक्त योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन इस कार्यालय के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 के अनुसार किये जाने हेतु पत्र (कमांक 17529–17563 दिनांक 24.11.2016 व 40259–40293 दिनांक 16.02.2018) द्वारा निर्देशित किया गया था।

परन्तु कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दूरभाष से यह मार्गनिर्देशन चाहा गया है कि नाल्सा की उपरोक्त 10 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु टीमों में किस प्रकार आवंटित किया जावें। जिसके संबंध में यह संशोधित परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर पर पूर्व में गठित तीन टीमों को निम्न सारणी के अनुसार योजनायें आवंटित की जावें–

टीम संख्या	वर्तमान में संचालित नाल्सा की 10 योजनाओं के नाम
प्रथम टीम	1. नाल्सा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 2. नाल्सा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 3. नाल्सा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 4. नाल्सा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाऐं) योजना, 2010
द्वितीय टीम	1. नाल्सा (असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 2. नाल्सा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 3. नाल्सा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016
तृतीय टीम	1. नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 2. नाल्सा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 3. नाल्सा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

<u>**तालुका स्तर पर**</u> नाल्सा की 10 स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में परिपत्र संख्या 14 के अनुसार गठित एक ही टीम को आवंटित की जावे।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर उप सचिव–द्वितीय उपरोक्त सभी स्कीमों के नोडल ऑफिसर होंगे जो परिपत्र संख्या 14 दिनांक 22.02.2016 में इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही संपन्न करेंगे।

इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 14 दिनांक 22.02.2016 के अनुसार टीम के कार्यो एवं अन्य सुविधाओं के लिए दिये गये दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक :– 5739 – 5962 दिनांक:– 4/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
5. उप सचिव–द्वितीय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. उप सचिव–प्रथम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
8. उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. संबंधित पत्रावली।

4.5.18
संयुक्त सचिव

C-1-//D/Pratibha/Esst. Work/RakeshJi/Misc./Misc. Letter